# राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़
Email:- registrar.rmpu@gmail.com, Contact No. 7017836228

पत्रांकः—आर0एम0पी0यू0 / 826 / 2022 दिनांकः— 21 जुलाई, 2022

सेवा में,

**प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबंधक,**
**समस्त महाविद्यालय,**
**संबद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,**
**अलीगढ।**

**विषयः— परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

कृपया विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 2269 / सत्तर—1—2022—16(50) / 2021 दिनांक 11 जुलाई, 2022 का अवलोकन करें, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के अन्तर्गत सेमेस्टर सिस्टम लागू किये जाने के फलस्वरूप परीक्षा शुल्क का निर्धारण किया गया है।

उपर्युक्त संदर्भित शुल्क के संबंध में अवगत हों कि परीक्षा शुल्क सत्र 2022—23 से लागू होगा।

**संलग्नकः यथोपरि।**

**(महेश कुमार)**
**कुलसचिव**

**प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—**

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. वित्त अधिकारी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा / अलीगढ।
4. सम्पादक, समस्त समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि उक्त महत्वपूर्ण सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5. अधिकृत एजेंसी को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉगिन आई0डी0 एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. गार्ड फाईल।

**सहायक कुलसचिव**

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 2269 / सत्तर–1–2022–16(50) / 2021 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 11 जुलाई, 2022

## कार्यालय–ज्ञाप

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम लागू किये जाने के फलस्वरूप परीक्षा शुल्क पर विचार–विमर्श किये जाने हेतु शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1747 / सत्तर–1–2022–16(50) / 2021, दिनांक 26–05– 2022 द्वारा विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 06 सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

2– विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये शुल्क वृद्धि के प्रस्तावों पर विचारोपरान्त समिति द्वारा अपनी संस्तुति उपलब्ध करायी गई।

3– समिति की संस्तुतियों में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन के कारण समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में विषम / सम सेमेस्टर के कम में वर्ष में 02 बार सम्पन्न कराया जायेगा। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं हेतु पेपर सेटिंग तथा पेपर प्रिंटिंग, उत्तर पुस्तिकाओं की प्रिंटिंग, प्रायोगिक परीक्षाओं का सम्पादन, उड़ाका दलों का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं परीक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान, परिणाम का संकलन एवं प्रकाशन के मदों मे दोगुना व्यय भार आयेगा। विश्वविद्यालय की आय का मुख्य स्रोत छात्रों से प्राप्त होने वाला परीक्षा शुल्क है, जिसका अधिकांश भाग परीक्षा सम्बन्धी मदों पर व्यय होता है।

4– उच्च शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुल्क में भिन्नताएं हैं। अलग–अलग विश्वविद्यालयों में छात्रों द्वारा एक ही मद में अलग–अलग शुल्क का भुगतान किया जाना भी न्याय संगत नहीं है। राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुल्क की समानता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में परीक्षा शुल्क निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:–

| क0 | पाठ्यक्रम का नाम | प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क |
|---|---|---|
| 1 | बी0ए0, बी0एस0सी0,बी0काम, बी0वी0ए0, बी0सी0ए0, बी0एफ0ए0, बी0एड0, बी0पी0एड0, बी0जे0एम0सी0, बी0एफ0ए0, बी0वोक0 | रू0 800 / – |
| 2 | एल0एल0बी0, बी0एस0सी0 एग्रीकल्चर(आनर्स), विधि(आनर्स), बी0टेक0, बी0एस0सी0 बायोटेक, बी0लिब0 | रू0 1000 / – |
| 3 | बी0डी0एस0, नर्सिंग, बी0ए0एम0एस0 / बी0यू0एम0एस0 | रू0 1500 / – |

मनोज कुमार
विशेष सचिव

–2 /

Scanned with CamScanner

संख्या- 2269 (1)/सत्तर-1-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
2 कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3 कुलसचिव/वित्त अधिकारी, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4 निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5 समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ब्रह्मदेव)
संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner